



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 963 सन् 2026

पूजा मौर्या

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: जे.पी.एन. सिंह, संतोष कुमार राय
उत्तरदातागण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.पी.एन. सिंह के साथ श्री संतोष कुमार राय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री वी.के. श्रीवास्तव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 10.10.2018 को जिला भदोही में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें ब्लॉक-अभोली, जिला भदोही में स्थानांतरित कर दिया गया था।
3. याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उनके साथ-साथ ग्राम प्रधान और अन्य पदाधिकारियों के विरुद्ध कमलाकांत दुबे द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसरण में, दिनांक 11.06.2025 की एक जांच आख्या प्रस्तुत की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं था।
4. इसके बाद, नोटरी शपथपत्र के आधार पर एक और शिकायत दर्ज की गई, जिसमें फर्म से माल की आपूर्ति के संबंध में कुछ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जो उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित है और उन्हें भुगतान किया गया है। जिला अधिकारी, भदोही के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी, भदोही ने जांच की और दिनांक 04.09.2025 को आख्या प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त जांच वर्ष 2021-2022 से संबंधित ग्राम प्रधान के कृत्यों से संबंधित थी और संबंधित अवधि के लिए याचिकाकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत में काम नहीं कर रहा था।
5. याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उसने कदाचार का गठन करने वाला कोई कार्य या चूक नहीं की है और दिनांक 21.03.2022 और 26.04.2022 के शासनादेश वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

नहीं होते हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि दिनांक 04.09.2025 की जांच एकपक्षीय रूप से की गई थी।

6. दिनांक 4.9.2025 की एकपक्षीय जांच आख्या के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 04.10.2025 का नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांक 17.10.2025 और 29.10.2025 को जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कुछ दस्तावेज मांगे जिनके आधार पर कदाचार के आरोप प्रस्तावित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.11.2025 को एक और जवाब प्रस्तुत करने का भी दावा किया है।

7. इसके बाद, दिनांक 10.12.2025 के कार्यालय आदेश द्वारा, जिला अधिकारी, भदोही ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(1)(छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन लीं। उक्त आदेश को रिट-सी संख्या 3901 सन् 2026 (मनीष कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में चुनौती दी गई थी, जिसमें 10.02.2026 को एक आदेश पारित किया गया था जो इस प्रकार है: -

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री निशीथ यादव, उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और उत्तरदाता संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह को सुना।

2. वर्तमान याचिका उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95 (1) (छ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, ग्राम पंचायत घस्करी, खंड विकास भदोही, जिला भदोही के ग्राम प्रधान के रूप में याचिकाकर्ता की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करते हुए दिनांक 10.12.2025 के जिलाधिकारी, भदोही के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में अभिलेख पर मौजूद सामग्री का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके आधार पर आरोप तय किए गए थे, न ही याचिकाकर्ताओं को आपूर्ति की गई सामग्री पर भरोसा किया गया था, जैसा कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने रिट- सी संख्या- 905 सन् 2025 (बृज मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव पंचायती राज लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य) में अभিনিर्धारित किया था। प्रासंगिक पैराग्राफ 48 और 49 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"(48) नटवर सिंह (उपरोक्त) के साथ साथ टी. ताकानो (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के उपरोक्त चर्चा और निर्णय को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विचार करते हुए कि एक निर्वाचित कार्यालय धारक की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों की समाप्ति के गंभीर परिणाम हैं और किसी दिए गए मामले में अपूरणीय क्षति हो सकती है यदि अंततः उसे अंतिम जांच में दोषमुक्त कर दिया जाता है, एक ऐसा पहलू जिस पर रवि यशवंत भोईर (उपरोक्त) के मामले में और पांच न्यायाधीशों के निर्णय में पारस जैन (उपरोक्त) के साथ साथ विवेकानंद यादव (उपरोक्त) और हाफिज अताउल्लाह अंसारी (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जोर दिया गया है और इस तरह के निर्वाचित पदाधिकारी को प्रारंभिक जांच में शामिल नहीं किया जाना है, जिसका अर्थ है कि प्रारंभिक जांच आख्या, जो धारा 95 (1) (छ) के परंतुक के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने का आधार हो सकती है, तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि उक्त सामग्री प्रस्तुत करने के बजाय, जो उसके विरुद्ध गंभीर सिविल परिणामों वाली प्रस्तावित प्रातिकूल कार्रवाई का आधार है, हाफिज अताउल्लाह अंसारी (उपरोक्त) में निर्णय के साथ सपठित विवेकानन्द यादव (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के अनुसार उसके विरुद्ध आरोपों/सामग्री/साक्ष्यों को इंगित करने के लिए कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता क्यों है? नटवर सिंह (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय को देखते हुए ऐसी सामग्री निर्वाचित पदाधिकारी को दी जानी चाहिए।

(49) केवल प्रारंभिक जांच आख्या देने से यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां अंतरिम स्तर पर भी अंतिम जांच की जाएगी, क्योंकि इसके लिए नियमावली, 1997 के नियम 6 में अलग से एक विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है जो इस स्तर पर लागू नहीं होती है। प्रारंभिक जांच आख्या में जिन साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, उन्हें उस स्तर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारंभिक जांच आख्या या इसके अभाव में वह सामग्री जो कारण बताओ का आधार है, प्रथम दृष्टया, नटवर सिंह (उपरोक्त) के मद्देनजर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है और ऐसा नहीं करने पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा जो अंतरिम चरण में भी लागू होते हैं। विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह न केवल हटाने के लिए जांच शुरू करने का मामला है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां एक निर्वाचित

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कार्यालय धारक की प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति को जब्त किया जा सकता है। यहां शामिल प्रश्नों पर विवेकानंद यादव (उपरोक्त) और हाफिज अताउल्लाह अंसारी (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के निर्णय का अनुपात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आवेदन की सीमा के सवाल पर नटवर सिंह (उपरोक्त) और टी. ताकानो (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत प्रतीत होता है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के लिए जिला अधिकारी द्वारा दर्ज की गई प्रथम दृष्टया संतुष्टि अधिनियम की धारा 95 (1) (छ) के खंड (i) से (v) में परिकल्पित कोई वित्तीय और अन्य अनियमितता नहीं दिखाती है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आरोप संख्या 1 के संबंध में, श्रमिकों को भुगतान अभिलेख पर सक्षम द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन अपनी प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करते हुए, जिला अधिकारी ने कहा है कि विपिन कुमार, सतीश कुमार, बृजेश कुमार और आखिलेश कुमार को हैंडपंप की मरम्मत के लिए किया गया भुगतान कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक के रूप में किया गया है जो उचित नहीं है, गलत और समझ से बाहर है।

6. मनरेगा कार्य से संबंधित आरोप संख्या 2 के संबंध में, यह आरोप कि भुगतान दिनांक 26.04.2022 के शासनादेश के उल्लंघन में किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है कि दिनांक 26.04.2022 के शासनादेश का संचार जिला अधिकारी के आदेश दिनांक 10.06.2022 द्वारा किया गया था, जिससे पहले, सभी कार्यों को आवंटित कर दिया गया था और भुगतान किया गया था।

7. आरोप संख्या 3 के संबंध में, सोख गड्डे के रखरखाव और हैंडपंप की मरम्मत के कार्य के लिए श्रम कार्यों के भुगतान से संबंधित अनुमान चार्ट तैयार करने में कुछ विसंगति पाई गई है जिसमें याचिकाकर्ता पर कोई वित्तीय अनियमितता या गबन का आरोप शामिल नहीं है।

8. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करना, औपचारिक जांच लंबित होना गलत था। इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

9. सभी उत्तरदाताओं को जवाबी प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया जाता है। प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दो सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है।

10. उसके बाद सूचीबद्ध करें।

11. सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक, जिला अधिकारी के आदेश दिनांक 10.12.2025 के प्रभाव और संचालन, जहां तक यह याचिकाकर्ता की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को समाप्त करता है, औपचारिक जांच लंबित रहने तक, को स्थगित रखा जाएगा। यद्यपि, औपचारिक जांच जारी रहेगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।"

8. आगे यह तर्क दिया गया है कि जिला अधिकारी की कुछ टिप्पणियों/निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 12.12.2025 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिस पर उसने उसी तिथि को अपना जवाब प्रस्तुत किया था। यद्यपि, दिनांक 24.12.2025 के आक्षेपित आदेश द्वारा, जिला विकास अधिकारी, भदोही ने याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया। उक्त निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

9. इस न्यायालय ने 28.01.2026 को निर्देश मांगे और मामले की सुनवाई 11.02.2026 को हुई।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 24.12.2025 के आक्षेपित निलंबन आदेश को विधि में कायम नहीं रखा जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि जिला विकास अधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किए बिना जिला अधिकारी के आदेश पर निलंबन का आदेश पारित किया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 95 (1) (छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला अधिकारी ने ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को छीन लिया था, लेकिन उसमें दर्ज निष्कर्षों का उपयोग याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता था, जो ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव है।

11. निवेदन यह है कि सक्षम अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए था, और जिला विकास अधिकारी को निलंबन आदेश पारित करते समय केवल जिला अधिकारी, भदोही के निर्देशों या टिप्पणियों के आधार पर प्रभावित नहीं किया जा सकता था। उक्त तर्क को मजबूत करने के लिए, इस न्यायालय के एक खंडपीठ के **निर्णय: वीएन दाइपुरिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य, रिट-ए संख्या 58619 सन् 2015, जिसका 27.10.2015** को निर्णय किया गया है, पर भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र रूप से विवेक के प्रयोग के बिना एक वरिष्ठ प्राधिकारी के आदेश पर निलंबन, विधि में कायम नहीं रखा जा सकता।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

12. आगे यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 04.09.2025 की जांच आख्या एकपक्षीय रूप से आयोजित की गई थी और याचिकाकर्ता कभी भी उक्त जांच से नहीं जुड़ा था। यह कथित तौर पर दिनांक 10.12.2025 के आदेश का आधार था, जिसके अधीन ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई थीं। यह आग्रह किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए स्वतंत्र सामग्री मौजूद थी, तो दिनांक 10.12.2025 को जिला अधिकारी, भदोही द्वारा पारित आदेश का उल्लेख करने का कोई प्रयोजन नहीं था।

13. इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने कोई कदाचार नहीं किया है। आरोपों के बारे में उसे दिनांक 12.12.2025 के नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया था, जिस पर उसने उसी तिथि को जवाब प्रस्तुत किया। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया है और केवल इस अवलोकन से कि उत्तर असंतोषजनक था, निलंबन आदेश पारित किया गया है। यह भी आग्रह किया गया है कि शासनादेशों का कथित रूप से गैर-अनुपालन प्रासंगिक नहीं है, खासकर जब विचाराधीन लेनदेन पूर्व अवधि से संबंधित हो।

14. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निलंबन का आदेश जिला अधिकारी के आदेश पर पारित नहीं किया गया है। उनके अनुसार, जिला विकास अधिकारी ने स्वतंत्र रूप से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया और इस बात से संतुष्ट होने पर कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया।

15. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया है।

16. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सचिव के रूप में काम कर रहा है और उसकी सेवाएं लागू सेवा नियमावली द्वारा शासित होती हैं। प्रासंगिक नियमों के नियम 4 में प्रावधान है कि किसी सरकारी कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया गया है या लंबित है, को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता का यह भी मामला नहीं है कि जिला विकास अधिकारी निलंबन का आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं था। मुख्य आपत्ति यह है कि निलंबन आदेश भदोही के जिला अधिकारी के आदेश के तहत पारित किया गया है।

18. जिला अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 10.12.2025 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 95(1)(छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, ग्राम प्रधान की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गई थीं। उक्त आदेश के अंतिम भाग में, यह निर्देश दिया गया था कि संबंधित पदाधिकारियों के कार्य और आचरण के संबंध में एक जांच की जाए और एक आख्या प्रस्तुत की जाए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

19. यद्यपि, दिनांक 10.12.2025 के आदेश में कोई विशेष निर्देश नहीं है जो वर्तमान याचिकाकर्ता को निलंबित करने को अनिवार्य करता हो। निलंबन आदेश में जिला अधिकारी के पहले के आदेश का संदर्भ देने से ही यह स्थापित नहीं होगा कि जिला विकास अधिकारी ने आदेश के अधीन काम किया है। प्रासंगिक सामग्री का संदर्भ देना, विवेकाधिकार के परित्याग के बराबर नहीं है।

20. अन्यथा भी, यदि जिला अधिकारी का विचार था कि ग्राम प्रधान के विरुद्ध की गई जांच के आधार पर कुछ प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद है, तो वह उचित जांच करने का निर्देश दे सकते थे। यद्यपि, दिनांक 10.12.2025 के आदेश के साथ-साथ आक्षेपित निलंबन आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए जिला अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिदेश आदेश या निर्देश का संकेत देने वाला कोई उल्लेख नहीं है।

21. इस स्थापित विधिक प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा जारी अनिवार्य निर्देश के आधार पर निलंबन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, वर्तमान मामले में, एक स्पष्ट अंतर है। जिला प्रशासन के प्रमुख होने के नाते जिला अधिकारी ने प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितताओं को देखते हुए जांच करने का निर्देश दिया।

22. इस न्यायालय को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, इस स्तर पर आरोपों की शुद्धता की जांच करने या जांच में एकत्र की गई सामग्री की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष सीमित प्रश्न निलंबन आदेश की वैधता के संबंध में है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जिला अधिकारी द्वारा निलंबन को अनिवार्य करने का कोई विशेष निर्देश नहीं था, तो आक्षेपित आदेश को निर्देश के आधार पर गलत नहीं कहा जा सकता है।

23. यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 10.12.2025 का आदेश दिनांक 12.12.2025 के नोटिस के साथ याचिकाकर्ता के संज्ञान में लाया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने उसी तिथि को अपना जवाब प्रस्तुत किया था। यद्यपि आक्षेपित निलंबन आदेश में दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं था, यह न्यायालय, निलंबन के आदेश को चुनौती देते समय, आरोपों के गुण-दोष में नहीं जा सकता है, क्योंकि यह पूर्व-निर्णय के मुद्दों के बराबर होगा जिन्हें अभी तक अनुशासनात्मक कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है।

24. इसके अलावा, शासनादेशों के कथित उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता का बचाव अनुशासनात्मक जांच में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाने वाला मामला है, यदि आयोजित किया जाता है।

25. तदनुसार, इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित निलंबन आदेश को अवैध नहीं कहा जा सकता है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

26. इसलिए, रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि सक्षम जिला प्राधिकारी याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करेगा, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर।

27. याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन लागू नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ते का हकदार होगा।

फ़रवरी 12, 2026
सुषमा

(न्यायमूर्ति विकास दुधवार,)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"